

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1194/2022/10-11/1715 भोपाल, दिनांक 01/05/23
प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हेक्टेयर वनभूमि
लोक निर्माण विभाग संभाग, बुदनी को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPB 049/2022-BHO/ दिनांक 20.04.2023

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।
जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर
जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 21.04.2023 (छायाप्रति
संलग्न) द्वारा जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है:-

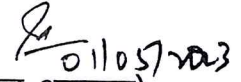
क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The number of trees proposed for felling seems to be low, though the KML file shows dense forest shall be clarified.	प्रस्तावित मार्ग पर आवेदक संस्थान एवं वन विभाग द्वारा पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया एवं मार्ग का एलाइनमेंट इस प्रकार लिया गया है कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम रहे। निरीक्षण उपरांत प्रकरण में 290 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।
2	Muck calculation and muck disposal scheme shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि मार्ग निर्माण में सुविधाजनक ग्रेडियेन्ट निर्माण, समतलीकरण में कुल 24000 घनमीटर मिट्टी/आडिनरी रॉक की खुदाई होगी, जिसका उपयोग मार्ग निर्माण समतलीकरण एवं स्लोप के निर्माण में उसी स्थान पर किया जावेगा।
3	Justification note does not justify that why forest land cannot be avoided. It shall be clarified.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि उक्त मार्ग आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिससे सीहोर एवं भोपाल आने वाले ग्रामीणों को 50 कि.मी. अतिरिक्त घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। उक्त मार्ग बनने से कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

4	The road is passing through dense forest. The User Agency shall clarify that why this road cannot be avoided?	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि उक्त मार्ग दूरस्थ एवं बिखरे हुए दुर्लभ स्थानों में निवासरत आदिवासियों के लिए सुलभ यातायात का मार्ग उपलब्ध करायेगा, इसलिए मार्ग का बनाया जाना अतिआवश्यक है।
---	---	--

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

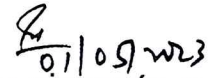
भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1194/2022/10-11/1716
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 01/05/23

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीहोर, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग बुदनी, जिला-सीहोर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी

दूरभाष क्रमांक-07564-235304 ई-मेल eepwd.budni@mp.gov.in

क्र. ९५२/टी.एस./2023-24

बुदनी दिनांक 21/04/2023

प्रति,

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन,
भोपाल म.प्र.

विषय:- सीहोर जिले में ग्राम सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण हेतु 4.580 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण संभाग बुदनी को उपयोग पर देने बाबत।

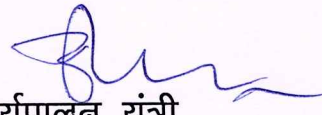
संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एम.पी.बी.049/2022 बी.एच.ओ. दिनांक 20/04/23

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार चाही गयी जानकारी का विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

1. उक्त मार्ग निर्माण हेतु लो.नि.वि. एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण दल द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया एवं मार्ग का एलाइनमेन्ट इस प्रकार लिया गया है कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम रहे, वृक्षों की वास्तविक गणना अनुसार कुल 290 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनका गोशवारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
2. मार्ग निर्माण में सुविधाजनक ग्रेडियेन्ट निर्माण, समतलीकरण में कुल 24000 घनमीटर मिट्टी/आडिनरी रॉक की खुदाई होगी जिसका उपयोग मार्ग निर्माण समतलीकरण एवं स्लोप के निर्माण में उसी स्थान पर किया जावेगा।
3. उक्त मार्ग आदिवासी क्षेत्र से होकर गुजरता है जिला मुख्यालय सीहोर एवं राजधानी भोपाल आने वाले ग्रामीणों को 50 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, उक्त मार्ग बनने से कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
4. उक्त मार्ग दूरस्थ एवं बिखरे हुए दुर्लभ स्थानों में निवासरत् आदिवासियों के लिए सुलभ यातायात का मार्ग उपलब्ध करायेगा, इसलिए मार्ग का बनाया जाना आवश्यक है।

निवेद
२

सहपत्र- उपरोक्तानुसार


कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी
जिला सीहोर म.प्र.

Sankota to Sirali Road Length 7.50 Km.

Muck Calculation

1.	Excavation in Soil	$2 \times 6000 \times 2.50 \times 0.40 = 12000 \text{ cum}$
2.	Excavation in Ordinary Rock	$2 \times 6000 \times 2.50 \times 0.40 = 12000 \text{ cum}$
Total		24000 cum

Reutilization of Excavated Material for embankment construction, levelling & making the slope = 22000 cum.

Rest is Top Organic Soil dump near by.


Executive Engineer
 **PWD Division Budni**



कार्यालय

वन परिक्षेत्र अधिकारी लाड़कुई सामान्य (म.प्र.)

E-mail - RotLadkui@mp.gov.in)

RO INSPECTION REPORT

Name of the project: - ग्राम सनकोटा से सिराड़ी तक मार्ग निर्माण कार्य

Name of Forest Range : - Ladkui

Forest Compartment No. : - RF-370, 387, 386, 388, 410, 411

Date :- /09/2022

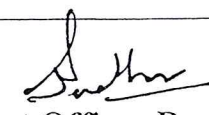
Sn.	Particular	Inspection Report By RO(T)			
1	Extent is hectares.	4.580 हेक्टेयर			
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion	Comp. no.	Point no.	Latitude	Longitude
		RF-370	01.	22°51'11.04"	77°05'25.78"
		RF-387	02.	22°51'15.46"	77°05'41.10"
		RF-386	03.	22°50'56.03"	77°06'38.46"
		RF-388	04.	22°50'51.04"	77°06'56.77"
		RF-410	05.	22°50'39.00"	77°07'49.99"
		RF-410	06.	22°50'28.57"	77°08'08.65"
3	Legal status of the land (protected forest , reserved forest revenue forest lands or any other forest land)	आरक्षित वन कक्ष क्रं. 370,387,386,388,410 एवं 411			
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	सीमांकन कार्य हो चुका है।			
5	Any signs of encroachment.	प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।			
6	Any activity already taken up within the forest land of adjoining non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and guideline there under.	वनक्षेत्र में कोई वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।			
7	Status of vegetation site quality , species compositions etc.	प्रस्तावित वनक्षेत्र सागोन वन श्रेणी का है वन घनत्व 0.3 से 0.5 का है, व स्थल गुणवत्ता 4B की है।			
8	Importance of area from wildlife point of view Status of wildlife (density and abundance of important species , bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals any endangered wildlife) Any latest census of wildlife in this area.	प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी नहीं हैं। मात्र सियार देखे गये हैं।			
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	ग्रामीण क्षेत्र होने से पालतु पशुओं का चराई दबाव है एवं वनक्षेत्र सागोन वनश्रेणी का है।			
10	Current land use. Is this area managed as per prescription in the working plan and , if not , why ?	हाँ			
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	नहीं है ।			
12	Any dependent persons/families on this	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई व्यक्ति आश्रित नहीं है, ना ही कोई			

	land.	परिवार निवासरत है ।
13	Any displacement of persons proposed.	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।
14	Is here any rehabilitation and resettlement plan for the persons to be affected ? Is there any dissenting voice amonth the persons proposed to be displace?	प्रस्तावित योजना में कोई पुर्नवास योजना नहीं है। जिसमें व्यक्तियों/परिवारों को विस्थापित नहीं किया जाना है।
15	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non forest land. Location of this area , suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current working plan rescription for the area / Distance of the non forest land fir CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	प्रभावित वनभूमि राईट ऑफ वे के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई संरक्षित क्षेत्र/सेलानी अभयारण्य क्षेत्र से लगभग 14.000 कि.मी दूरी पर है।
17	Dependence of triba!'s in the area. Whether the rights of the tribal's have been recognized in the area.	प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों की कोई आत्म निर्भरता नहीं है ।
18	Utility of the project , including the people living in close vicinity of the project.	प्रस्तावित योजना के माध्यम से ग्राम सनकोटा से सिराड़ी तक मार्ग से जिला मुख्यालय की दूरी में 50 कि.मी. दूरी कम हो जावेगी। जिससे आदिवासी एवं अन्य ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी।
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	नहीं ।
20	Alternatives examined by the user agency in case of no-site specific project.	अन्य कोई विकल्प नहीं है ।
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is minimum.	हाँ ।
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	वनक्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 290 है।
23	Any other issue of significance.	नहीं ।
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	प्रस्तावित योजना के माध्यम से ग्राम सनकोटा से सिराड़ी तक मार्ग से जिला मुख्यालय की दूरी में 50 कि.मी. दूरी कम हो जावेगी। जिससे आदिवासी एवं अन्य ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी।

Place- Ladkui

Date :- /09/2022


वन अधिकारी मंडल
लडकुई


Forest Officer Range Forest
Range Ladkui (T)

प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत/आवेदक वन विभाग लोक निर्माण विभाग संभाग बुदनी जिला सीहोर के प्रस्तावत सनकोटा से सिराड़ी मार्ग निर्माण के संबंध में दिनांक 02/08/2022 को परिक्षेत्र लाइकुई अंतर्गत वनखण्ड 46 सीपपार्ट कक्ष क्रमांक कक्ष क्रमांक आर.एफ. 370 , 387 , 386 , 388 , 410 एवं 411 में रकबा 4.580 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। इस हेतु मेरे द्वारा दिनांक 05/09/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया । जिसमें वन भूमि आवश्यकता न्यूनतम है तथा प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र तथा अन्य वन क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा वांछित विकास कार्य की वहाँ आवश्यकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वांछित वनक्षेत्र में कोई दुर्लभ संकटापन्न अथवा विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती है एवं जैवविविधता संरक्षण/वन्यप्राणी प्रबंध की दृष्टि से उक्त क्षेत्र को व्यपवर्तन करने में कोई कठिनाई नहीं है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
(सम) वनपरिक्षेत्र लाइकुई